

# न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर

प्रकरण संख्या :-54/25

प्रार्थी

बनाम

अप्रार्थी

एयू स्मॉल फायनेंस बैंक लि.  
प्लॉट नम्बर 39, शान्तिवन पांचवी  
मंजिल, 11 वी रोड़, सरदारपुरा,  
जोधपुर जरिये प्राधिकृत अधिकारी  
श्री रामदीन

- शौकीन पुत्र कॅवरु दीन  
तेलीयो का वास, आसोप, भोपालगढ़  
जिला जोधपुर
- हुरमत  
तेलीयो का वास, आसोप, भोपालगढ़,  
जिला जोधपुर

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 14, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन  
और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002

उपस्थिति :-

आदेश दिनांक:-17-07-2025

1-चन्द्र सिंह राठौड अधिवक्ता (प्रार्थीपक्ष)

आदेश

प्रार्थीपक्ष की ओर से यह प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 14, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अप्रार्थीगण शौकीन पुत्र कॅवरु दीन व अन्य के विरुद्ध पेश हुआ।

प्रार्थना-पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक/वित्तीय कम्पनी के द्वारा अप्रार्थीगण को कुल राशि रूपये 3,50,000/-मोर्टगेज ऋणसुविधा उपलब्ध कराई गई तथा पुनर्भुगतान हेतु अप्रार्थीगण शौकीन पुत्र कॅवरु दीन की जायदाद पट्टा नं. 13, ग्राम आसोप, तहसील भोपालगढ़, जिला जोधपुर जिसका क्षेत्रफल 990 वर्गफीट, जिसके उत्तर में सदीक तेली, दक्षिण में आम रास्ता, पूर्व में आम रास्ता एवं पश्चिम में जमाल तेली आया हुआ, को प्रार्थी बैंक/कम्पनी के पक्ष में रहन/हाईपोथिकेशन कर दिया। अप्रार्थीगण द्वारा नियमित रूप से प्रार्थी बैंक/कम्पनी को ऋण का भुगतान करने में असफल रहने पर प्रार्थी द्वारा ऋण राशि मय ब्याज के अदा करने हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी के नाम से नोटिस जारी किये गये तथा नोटिस प्राप्त/प्रार्थी के पश्चात् भी अप्रार्थीगण द्वारा ऋण राशि मय ब्याज दिनांक 18/07/2025 तक अदा नहीं किया गया। अतः प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगण के ऋण का कब्जा प्रार्थी बैंक को सम्भलाने हेतु यह प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 14, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन अधिनियम, 2002 के तहत प्रार्थी बैंक/कम्पनी के पक्ष में प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 14, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन अधिनियम, 2002 के तहत अप्रार्थीगण शौकीन पुत्र कॅवरु दीन व अन्य के विरुद्ध पेश हुआ।

Signature valid

Digital signed by Gaurav Agrawal  
Designation Collector & District  
Magistrate  
Date 2025-07-17 12:46 IST  
Reason: Approved

Page 1 of 2

RajKaj Ref No :  
16612543



हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रार्थीपक्ष को सुना। प्रार्थी बैंक/वित्तीय कम्पनी द्वारा अप्रार्थीगण को राशि रूपये 3,50,000/-मोर्टगेज ऋण सुविधा प्रदान की है तथा अप्रार्थीगण बतौर प्रतिभूति उक्त जायदाद प्रार्थी के पक्ष में रहन रखी एवं अप्रार्थीगण से दिनांक 18.03.2025 तक 2,61,778/- वसूल किये जाने है। अप्रार्थीगण को नोटिस भी जारी किया गया तथा नोटिस प्राप्ति/सूचना के पश्चात् भी अप्रार्थीगण द्वारा देय राशि का भुगतान नहीं किया है। "दी सिक्युराईटेशन एवं रिकन्सट्रक्शन ऑफ़ फाईनेन्शियल एसेट्स एण्ड एन्फोर्समेंट ऑफ़ सिक्यूरिटीइन्ट्रेस्ट (सेकण्ड) एक्ट, 2002" की धारा 14 में उक्त रहन रखी गई सम्पत्ति को प्रार्थी बैंक के कब्जे में दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। अतः उपरोक्त तथ्यों के सन्दर्भ में प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीपक्ष द्वारा प्रार्थी बैंक/कम्पनी के पक्ष में प्रतिभूति के रूप रखी गई अपनी उक्त जायदाद शौकीन पुत्र कंवरु दीन की जायदाद पट्टा न. 13, ग्राम आसोप, तहसील भोपालगढ़, जिला जोधपुर जिसका क्षेत्रफल 990 वर्गफीट, जिसके उत्तर में सदीक तेली, दक्षिण में आम रास्ता, पूर्व में आम रास्ता एवं पश्चिम में जमाल तेली आया हुआ; का कब्जा अप्रार्थीगण से प्राप्त कर जरिये संबंधित पुलिस, प्रार्थी को सम्भलाये जाने का आदेश दिया जाता है। आदेश की प्रति संबंधित थानाधिकारी एवं प्रार्थी बैंक/कम्पनी को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाय।



आदेश आज दिनांक 17-07-2025 को सुनाया गया।

(जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर) का आदेश  
जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर  
17-07-2025

१३ ११२५३

प्रमाणित उद्देश्य के लिए

Signature valid

Digitally signed by Gayav Agrawal  
Designation: Collector & District  
Magistrate  
Date: 2025.07.17 13:12:46 IST  
Reason: Approved

Page 2 of 2

RajKaj Ref No.:  
16612543